

न्यायपालिका: समस्याएँ एवं समाधान

यह एडिटरियल दिनांक 24/04/2021 को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेख "A Court in Crisis" पर आधारित है। इस में न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे एवं नए CJI के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई है।

न्याय का आशय नैतिक अधिकार, तर्कसंगतता, समानता और नष्पिक्वता के आधार पर नरिणय लेने से है। देश के नागरिकों को समयोचित तरीके से न्याय प्रदान करने का दायित्व [देश के सर्वोच्च न्यायालय](#) के मुख्य न्यायाधीश के कंधों पर होता है। भारत में यह भूमिका भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI) द्वारा निभाई जाती है; इन्हें न्यायपालिका का 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' कहा जाता है।

हाल ही में पूर्व CJI जस्टिस एस.ए. बोबडे की सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश [जस्टिस एन. वी. रमना \(N. V. Ramana\)](#) ने देश के 48वें मुख्य न्यायालय के रूप में शपथ ली है। उन्होंने ऐसे समय में CJI के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जब भारत कोवडि-19 महामारी के कारण एक बड़े संकट से गुजर रहा है। ऐसे में उनके समक्ष सभी को समयोचित तरीके से न्याय प्रदान करने की दशा में कई संभावित चुनौतियाँ मौजूद हैं।

न्यायपालिका से संबंधित मुद्दे

- **सर्वोच्च न्यायालय की अक्षमता:** सर्वोच्च न्यायालय, न केवल मौलिक और अन्य संवैधानिक अधिकारों के रक्षक रूप में, बल्कि विधि के शासन के संरक्षक के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने में वफिल रहा है।
 - कई बार नागरिकों, वपिकषी दलों और कार्यकर्ताओं से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों के संदर्भ में, न्यायालय ने संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को बहाल करने के बजाय इन मामलों को कार्यपालिका को स्थानांतरित कर दिया।
 - हाल ही में सेवानिवृत्त हुए 47वें CJI न्यायिक इतिहास में पहले CJI हैं, जो 1990 के दशक में कॉलेजियम सिस्टम के आगमन के बाद शीर्ष अदालत में एक भी नियुक्ति के लिये सफारिश किये बिना सेवानिवृत्त हुए हैं।
- **न्यायाधीशों की कमी:** भारत में प्रतिदिन लाख जनसंख्या पर 20 न्यायाधीश मौजूद हैं, जबकि अन्य देशों में यह संख्या औसतन 50-70 के आसपास है।
- **उच्च न्यायालयों में रकितियाँ एवं लंबित मामले:** उच्च न्यायालयों में लंबित मामले एवं रकितियों से संबंधित आँकड़े काफी चिंताजनक हैं। आँकड़ों की मानें तो कुल मिलाकर 40% रकितियाँ एवं 57 लाख से अधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं।
 - मद्रास उच्च न्यायालय में केवल 7% रकितियाँ हैं, कति फरि भी 5.8 लाख मामले लंबित हैं।
 - जबकि कोलकाता उच्च न्यायालय में लगभग 44% पद रकित हैं और 2.7 लाख मामले लंबित हैं।
- **भरती प्रक्रिया में देरी:** न्यायपालिका में पदों को आवश्यकतानुसार तेजी से नहीं भरा जाता है। 135 मिलियन जनसंख्या वाले देश के लिये, न्यायाधीशों की कुल संख्या केवल 25000 के आसपास है। उच्च न्यायालयों में लगभग 400 पद रकित हैं एवं नचिली न्यायपालिका में लगभग 35% पद रकित हैं।
- **महिलाओं और अल्पसंख्यकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:** यद्यपि देश में लगी आधारित मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है एवं देश में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है फरि भी सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में केवल एक ही महिला न्यायाधीश है।
 - वही वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक ही मुस्लिम न्यायाधीश है, जबकि न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर सिख, बौद्ध, जैन या आदविसी समुदाय का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है।
- **न्यायिक वलिंब के लिये कोई कठोर कार्रवाई का अभाव:** यद्यपि न्यायिक प्रक्रिया में वलिंब की समस्या सर्ववदित है, कति इसके बावजूद इस समस्या की बारीकियों को समझने के लिये एवं इसे हल करने के लिये कोई वशिष प्रयास नहीं किया गया है।

नए CJI के लिये चुनौतियाँ

नवनियुक्त CJI के सम्मुख नमिनलखित चुनौतियाँ हैं:

- कोवडि-19 महामारी के कारण वर्तमान में मौजूद अभूतपूर्व संकट के दौरान अदालत का कामकाज जारी रखना।
- शीर्ष अदालत की प्रशासनिक मशीनरी को सुधारना और कॉलेजियम के कामकाज को सुव्यवस्थित करना।
- न्यायिक बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना और बड़े पैमाने पर लंबित मामलों को नपिटाना।
- सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस रमना के कार्यकाल में लगभग 13 पद खाली होंगे क्योंकि वर्ष 2021 के अंत तक कई जज रिटायर होने वाले हैं।

- सबसे बड़ी चुनौती उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों में नयुक्ता प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना होगा जो न्यायाधीशों की कमी के कारण बड़ी संख्या में लंबित मामलों से जूझ रहे हैं।
- राजधानी में बड़े पैमाने पर कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए शारीरिक रूप से सुनवाई के लिये अदालतों के खुलने की संभावना नगण्य है।
- अदालतों में सुनवाई को डिजिटल रूप से करना होगा जबकि तकनीकी समस्याओं के कारण वकीलों द्वारा इसकी आलोचना की गई है।

आगे की राह

- **सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका:** जैसी तरह से वधायिका और कार्यपालिका अपनी शक्तों लोगों से प्राप्त करती है, उसी तरह न्यायपालिका भी अपनी शक्ति देश के लोगों से ही प्राप्त करती है। अतः एक बलियन से अधिक आबादी वाले देश की जनता को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये उच्च न्यायालयों की जरूरत है।
 - सर्वोच्च न्यायालय में पाँच वर्षों के न्यायाधीशों की कॉलेजियम व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिये और न्यायपालिका में विश्वास को बढ़ावा देने के लिये अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिये।
- **CJI की भूमिका:** नए मुख्य न्यायाधीश को अपने पूर्ववर्तियों के कार्यों की गहनता से समीक्षा करनी चाहिये एवं बेंचों को मामले आवंटित करने में पूर्वाग्रह से मुक्त होकर न्याय व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये। इसके बाद ही वधिका शासन बहाल होगा एवं संविधान का अनुपालन होगा।
- **नयुक्ता प्रणाली को सुव्यवस्थित करना:** रक्तियों को बना किसी अनावश्यक वलिंब के तेज़ी से भरना चाहिये।
 - न्यायाधीशों की नयुक्ता के लिये एक उचित समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिये और पहले से सफ़ारिशें दी जानी चाहिये।
 - संविधान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का प्रावधान है अतः इसके गठन की दशा में कदम बढ़ाना चाहिये। यह नश्चित रूप से भारत में एक बेहतर न्यायिक प्रणाली स्थापित करने में मदद कर सकता है।
- **उचित प्रतिनिधित्व:** सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों में महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये।
 - कॉलेजियम का कर्तव्य है कि वह बेंच को विविधता प्रदान करने के लिये समाज के सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे ताकि जनता का विश्वास, जो न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत है, को बनाया रखा जा सके।

नषिकर्ष

भारत के मुख्य न्यायाधीश बना किसी शर्त, पक्षपात एवं वलिंब के भारत की जनता को न्याय प्रदान कर न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने के लिये जवाबदेह है। न्यायालय के अंदर मौजूद चुनौतियों के अलावा न्यायालय के बाहर मौजूद चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 का बढ़ता संक्रमण है।

एक ऐसी न्यायिक प्रणाली की आवश्यकता हमेशा बनी हुई है, जहाँ सबूतों एवं गवाहों की नषिकर्ष जाँच हो, आँकड़ों का नषिकर्ष विश्लेषण हो, न्याय प्रक्रिया में वलिंब न हो।

सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम व्यवस्था को न्यायाधीशों की नयुक्ता पर विशेष ध्यान देते हुए रक्तियों एवं लंबित मामलों को तेज़ी से नषिटना चाहिये।

अभ्यास प्रश्न: न्यायिक व्यवस्था के प्रमुख होने के नाते एवं नागरिकों को नषिकर्ष तथा समय पर न्याय दिलाने में, साथ ही देश की न्यायिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करने में भारत के मुख्य न्यायाधीश के योगदान की विविधता कीजिये।